

स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-1/1/12/वि/स्था/2019/12350-12352 दिनांक: 03-10-2019

वास्ते:-

.....
.....
.....

विषय:- "लिपिक ग्रेड-II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013" में चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

प्रसंग:- प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग का पत्र क्रमांक प. 1(6)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक: 27.09.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.09.2019 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित मण्डल को आवंटित अभ्यर्थियों की निम्नानुसार सूची प्राप्त हुई है। जिनकी पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है।


क्रमांक	मेरिट नं.	रोल नम्बर	नाम	मो0 न0
1.	722	470102	विक्रम पुरोहित	8233633765 7737785374
2.	831	659490	राजू सिंह	8952980765
3.	6007	609426	दिलीप कुमार वर्मा	9929634978 9929784488

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 10.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक निम्नांकित मूल दस्तावेजात के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष उपस्थित हों। आपको इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया व भत्ता आदि देय नहीं होगा।

1. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हों।
2. कक्षा 10 से अंतिम शैक्षणिक योग्यताओं की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आवेदक का पहचान पत्र।
5. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
7. यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
8. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/ विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात् 02 से अधिक संतान नहीं होने/ विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवान न करने के संबंध में वचनबद्धता (Undertaking)
9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का

नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।
12. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
13. समस्त अभ्यर्थी मण्डल के वेबसाईट पर अपलोड प्रपत्र- 'अ' 'ब' 'स' 'द' और 'द' में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना।
14. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त सवास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।
15. आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन।


निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:सम/12353

दिनांक :- 03.10.2019

प्रतिलिपी:- संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व एस.एम.एस. द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जावें।


उप निबंधक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

परिशिष्ट-अ

1	सैकण्डरी	
2	सीनियर सैकण्डरी	
3	स्नातक	
4	अधिस्नातक	
5	अन्य योग्यता	
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) - परिशिष्ट-ब	
11	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स	
12	दहेज न लेने का शपथ पत्र - परिशिष्ट-द	
13	पत्र व्यवहार का पता	
14	मूल निवास प्रमाण पत्र	
15	पते का प्रमाण पत्र, यथा-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	

परिशिष्ट-ब'

रू.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी..... शपथपूर्वक
बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व
दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ दिनांक
..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती
.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक
को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

(संतान शपथ-पत्र)

घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। ✓

मेंपुत्र/पुत्री श्री रोल नं. है,
लिपिक ग्रेड-आ, भर्ती परीक्षा, 2013 में लिपिक ग्रेड-आ के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई
हूँ।

3. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।
क्र.सं. नाम जन्म तिथि

4. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई
है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं
वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।
क्र.सं. नाम जन्म तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद : लिपिक ग्रेड-आ

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के

नाम:

पद मय मोहर:

रू.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-II, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 में लिपिक
ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न
तो दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी
पत्नि एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती
है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक
(ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी
जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)
घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....

2. हस्ताक्षर 2 हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता

परिशिष्ट-‘द’

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-आ, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 में
लिपिक ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले
ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नि एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी
जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)

घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....